राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

कमांक : एफ.18(आई–24)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2011 / 386-692 दिनांक 27-4-12

परियोजना प्रबन्धक,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
जिला परिषद समस्त (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)

विषय :– आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत प्रवेश बिन्दु गतिविधि के अन्तर्गत लिये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विभाग के ध्यान में आया है कि कतिपय जिलों द्वारा आई.डब्ल्यू. एम.पी. अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रवेश बिन्दु गतिविधि के अन्तर्गत खरंजा निर्माण / सी.सी. रोड़ निर्माण का कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

आई.डब्ल्यू.एम.पी. के कियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 के अनुच्छेद 50 में प्रवेश बिन्दु गतिविधि के अन्तर्गत लिये जाने वाले कार्यों का उल्लेख है एवं इस गतिविधि के अन्तर्गत पेयजल से सम्बन्धित कार्य, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत स्थापन, सार्वजनिक / राजकीय भूमि में पूर्व में निर्मित जल संग्रहण ढांचों की मरम्मत / रखरखाव से सम्बन्धित कार्यों का ही प्रावधान है एवं खरंजा निर्माण / सी.सी. रोड़ जैसे निर्माण कार्य अनुमत नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप ही कार्य सम्पादित किये जावे एवं इस सम्बन्ध में ग्रामसभा को भी स्पष्ट रूप से अवगत कराया जावे।

निदेशक

कमांक : एफ.18(आई–24)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2011 / 386-692 दिनांक 27-4-12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
2. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन / एम.आई.ई.एस.), निदेशालय, जयपुर।
4. उपनिदेशक (IWMP-I,II,III,IV,V,VI,VII) / परियोजना अधिकारी (भू–संसाधन) निदेशालय, जयपुर।
5. लेखाधिकारी, जिला परिषद, समस्त (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
6. सहायक अभियन्ता एवं पी.आई.ए., पंचायत समिति ....।

निदेशक